हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

ग्यारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्या : 94

सोमवार, 16 फरवरी, 2026/27 माघ, 1947(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 02.00 बजे (अपराह्न)

(राष्ट्रीय गान गाया गया।)

माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

माननीय राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी का अभिभाषण 2.00 बजे अपराह्न आरम्भ हुआ।

2.05 बजे अपराह्न अभिभाषण समाप्त हुआ।

(पुनः राष्ट्रीय गान गाया गया।)

2.05 बजे अपराह्न सदन की बैठक 02.45 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में 02.45 बजे अपराह्न आरम्भ हुई।

माननीय अध्यक्ष का सम्बोधन

"हिमाचल प्रदेश की चौदहवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र में भाग लेने के लिए मैं माननीय सदन के नेता श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर, संसदीय कार्य मन्त्री श्री हर्षवर्धन चौहान, मन्त्रिमण्डल के समस्त सदस्यगण व समस्त माननीय सदस्यों का सत्र में एकत्रित होने के लिए ह्रदय से आभार प्रकट करता हूं।"

2. शोकोद्‌गारः

निम्नलिखित ने श्री भगत राम चौहान, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किएः-

1. माननीय मुख्य मंत्री
2. श्री जय राम ठाकुर, माननीय नेता प्रतिपक्ष
3. माननीय शिक्षा मंत्री
4. श्री बलबीर सिंह वर्मा, माननीय सदस्य
5. माननीय लोक निर्माण मंत्री
6. श्री कुलदीप सिंह राठौर, माननीय सदस्य
7. माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री

माननीय अध्यक्ष का सम्बोधन

"सदन के नेता एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी ने शोकोद्‌गार का जो प्रस्ताव इस माननीय सदन में स्वर्गीय श्री भगत राम चौहान, पूर्व सदस्य, को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लाया है मैं भी उसमें अपने आपको सम्मिलित करता हूं। स्वर्गीय श्री चौहान जी का जन्म दिनांक 18 मई, 1938 को स्वर्गीय श्री ख्याली राम जी के घर गांव-खनावग, डा0-खटनोल, तहसील-सुन्नी, जिला शिमला में हुआ था। श्री भगतराम चौहान जी ने वर्ष 1981 से 1988 तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष तथा वर्ष 1988 से

प्रदेश महासचिव के पद पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे वर्ष 1990 में पहली बार विधायक चुने गए। उनकी विशेष रुचि सामाजिक कार्यों, बेरोज़गारी, ग्रामीण निर्धनता को दूर करने तथा समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठा उभारने में थी। वे सदा निष्ठा, ईमानदारी और जनसेवा के प्रतीक रहे। दिनांक 05 जनवरी, 2026 को 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ।

मैं स्वर्गीय श्री भगत राम चौहान जी के परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और दिवंगत आत्मा को मान्य सदन की ओर से भी शांति की कामना करता हूं। सदन की भावनाओं को स्वर्गीय श्री भगत राम चौहान के परिवार तक पहुंचा दिया जाएगा।"

(दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए सदन में कुछ क्षण खड़े होकर मौन रखा गया।)

3. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य :

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मंत्री ने वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

4. स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर :

सचिव, विधान सभा ने निम्नलिखित विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी, जिन पर माननीय राष्ट्रपति तथा राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैः-

(1) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1); और
(2) कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2026 का अधिनियम संख्यांक 2)

5. सरकारी विधेयकों पर पुनर्विचारः

माननीय अध्यक्ष ने हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 04 दिसम्बर, 2025 को पारित हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 21) पर माननीय राज्यपाल महोदय के संदेश को हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-162(1) के तहत सभा के समक्ष रखा जोकि इस प्रकार हैः-

"हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 को 04-12-2025 को विधानसभा में पारित कर मेरी स्वीकृति के लिए भेजा है। इस संशोधन विधेयक में अब नगर निगम के महापौर और उप-महापौर की पदावधि निर्वाचन की तिथि से अढ़ाई वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष की गई है। जब नगर निगम के चुनाव हुए थे तो उस समय महापौर और उप-महापौर का कार्यकाल अढ़ाई वर्ष था। निर्वाचित पार्षदगण आश्वस्त थे कि मौजूदा रोस्टर के अनुसार अढ़ाई वर्ष का कार्यकाल बीत जाने के बाद महापौर/उप-महापौर का पद किसी अन्य वर्ग/पार्षद को जाना था। परन्तु संशोधन विधेयक, 2025 के पारित होने पर लागू किया जाने वाला रोस्टर भी प्रभावित होगा, जो कि वैधानिक तौर पर न्यायसंगत नहीं है।"

श्री विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 21) पर पुनर्विचार किया जाए।

उक्त प्रस्ताव पर किसी भी माननीय सदस्य ने चर्चा में भाग नहीं लिया ।

श्री विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 21) को सभा द्वारा मूल रूप से पारित विधेयक को बिना किसी संशोधन के पुनः पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 21) मूल रूप से बिना किसी संशोधन के पुनः पारित हुआ।

माननीय अध्यक्ष ने हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 03 दिसम्बर, 2025 को पारित भू-सम्पदा (विनयमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 22) पर माननीय राज्यपाल महोदय के संदेश को हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-162(1) के तहत सभा के समक्ष रखा जोकि इस प्रकार हैः-

"भू-संपदा (विनयमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 को 3 दिसम्बर, 2025 को विधानसभा में पारित कर मेरी स्वीकृत्ति हेतु भेजा है। उक्त विधेयक समवर्ती सूची (concurrent list) के तहत आता है। अधिनियम की धारा

22 और 23 में प्रस्तावित संशोधनों की जांच की, विधेयक की धारा-22 में प्रस्तावित संशोधन से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामांकित व्यक्ति को मौजूदा प्रावधान से हटाने का प्रस्ताव है और उनकी जगह मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव अथवा किसी अन्य सचिव को चयन समिति में शामिल करने का प्रस्ताव है। जहां मुख्य सचिव स्वयं आवेदक होंगे, वहां उनका अधीनस्थ अधिकारी निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से काम नहीं कर पायेगा। इस प्रस्तावित संशोधन से यह विधेयक केन्द्रीय विधेयक के प्रावधानों के विपरीत होगा। यह संवैधानिक सिद्धांत है कि यदि किसी केन्द्रीय अधिनियम और राज्य अधिनियम के किसी प्रावधान के बीच एक ही विषय पर कोई टकराव होता है तो केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधान ही मान्य होंगे। इसलिए प्रस्तावित संशोधन से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि प्रस्तावित संशोधन पारदर्शिता सुनिश्चित करने, हितों के संभावित टकराव से बचने और अधिक योग्यता आधारित प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से किया गया है। यह उद्देश्य पहले ही मुख्य न्यायाधीश या उनके नामांकित व्यक्ति को मूल विधेयक की धारा-22 में चयन समिति की संरचना में शामिल होने से हासिल हो चुका है। इस प्रकार प्रस्तावित संशोधन के लिए बताए गए उद्देश्यों और कारणों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा प्रावधान उपयुक्त हैं। अतः प्रस्तावित संशोधन पर विचार करना तर्कसंगत व न्यायसंगत नहीं है।"

श्री राजेश धर्माणी, नगर एवं ग्राम योजना मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि भू-संपदा (विनयमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 22) पर पुनर्विचार किया जाए।

उक्त प्रस्ताव पर किसी भी माननीय सदस्य ने चर्चा में भाग नहीं लिया ।

श्री राजेश धर्माणी, नगर एवं ग्राम योजना मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि भू-संपदा (विनयमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 22) को सभा द्वारा मूल रूप से पारित विधेयक को बिना किसी संशोधन के पुनः पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

भू-संपदा (विनयमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 22) मूल रूप से बिना किसी संशोधन के पुनः पारित हुआ।

व्यवस्था का प्रश्न

नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने विधान सभा के नियमों व परम्पराओं का हवाला देते हुए कहा कि एक बहुत ही विचित्र परिस्थिति इस प्रदेश और इस माननीय सदन के सभी सदस्यों के सामने है कि नियम-102 के तहत सरकारी संकल्प लाया गया है। अगर यहां पर राज्यपाल महोदय का अभिभाषण शुरू हुआ है तो कल से यहां पर उनके अभिभाषण पर ही चर्चा होनी चाहिए। वे उस चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार हैं। यहां पर नियम-102 के तहत जो एक प्रस्ताव लाया गया है उसको आज लाने की आवश्यकता नहीं है। उसको राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होने के पश्चात लाइए। फिर उसके बाद वे उस पर यथासम्भव विचार करेंगे। लेकिन आज सदन की बैठक राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद हर हालत में स्थगित होनी चाहिए तथा आगे कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी बात रखते हुए कहा कि आर0डी0जी0 एक महत्वपूर्ण विषय है। आज हिमाचल प्रदेश का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि सरकारी संकल्प पर कुछ सत्ता पक्ष के विधायक बोलें और कुछ विपक्ष के विधायक बोलें। लिमिटिड विधायक बोलें और राज्यपाल के अभिभाषण पर कल या परसों चर्चा करवा दी जाएगी।

माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार ने भी उक्त विषय पर विधान सभा के नियमों व परम्पराओं का हवाला देते हुए माननीय नेता प्रतिपक्ष की बात का पुरजोर समर्थन किया और कहा कि नियम-102 के तहत दिए गए सरकारी संकल्प पर तुरंत प्रभाव से चर्चा न करवा कर पहले राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विस्तृत चर्चा करवाई जानी चाहिए।

माननीय मुख्य मंत्री ने अपने उद्‌गार व्यक्त करते हुए कहा कि वे सत्तापक्ष व विपक्ष के साथ-साथ प्रदेश की जनता की बात भी सुनते हैं। जहां प्रदेश के अधिकारों का हनन होगा, प्रदेश की जनता का हक छीना जाएगा उस समय कौन-सी चर्चा पहले होनी चाहिए, यह अध्यक्ष महोदय ने तय करना है। अध्यक्ष महोदय ने नियम और परम्पराओं का सम्मान रखा है। जो व्यवस्था इन्होंने बनाई है उन्हें लगता है कि इन परम्पराओं को आने वाले अध्यक्ष भी बनाए रखेंगे। इसमें कोई दोराय नहीं है कि वे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी चर्चा करेंगे परन्तु विपक्ष से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि इस चर्चा की शुरूआत कीजिए और सबकी चर्चा के बाद जो परिणाम निकल कर आएगा उस पर आगे बढ़ेंगे तथा इकट्ठा हो करके

माननीय प्रधानमंत्री जी के पास चलेंगे। पहले संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो नियम-102 के तहत आर0डी0जी0 के संदर्भ में सरकारी संकल्प लाया है उस पर चर्चा आरंभ की जाए।

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

"एक ऐसी स्थिति जिसका जिक्र सदन में कम हुआ है उस परिस्थिति को माननीय नेता प्रतिपक्ष ने मेरे ध्यान में लाया है। यद्यपि यह खुद जानते हैं कि ऐसा पहले भी हो चुका है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसकी चर्चा उससे अगले दिन के लिए डैफर हुई है और यह वर्ष 2019-20 में जब नेता प्रतिपक्ष स्वयं मुख्यमंत्री थे उस दौरान में भी हुआ है। जिस दिन मान्यवर राज्यपाल महोदय यहां सदन को संबोधित करने आए थे उसके पश्चात लेजिस्लेटिव बिजनेस ट्रांजैक्ट हुआ। राज्यपाल महोदय यहां सदन को संबोधित करने आए उसके पश्चात् विधायी कार्य ट्रांजैक्ट हुआ जैसा कि आज हो रहा है। इसलिए आज जो बिजनेस लिस्ट हुआ है कोई नई बात नहीं है पहले से ही ऐसा प्रेसीडेंट है। अभी अपराह्न के 3:40 बजे हैं और इस मान्य सदन की कार्यवाही सायं 7:00 बजे तक चलनी है और आज जो लगभग 3:30 घंटे का समय बचा हुआ है, अभी हमारे पास कोई बिजनेस तो है नहीं इसलिए अब जब सदन कंवीन हो गया और माननीय राज्यपाल सदन को संबोधित करके चले गये हैं तो यह हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि हिमाचल प्रदेश की जनता के हितों से जुड़े हुए जो विषय हैं या जो उससे जुड़े हुए प्रस्ताव ऑलरेडी लिस्टिड हैं, उस बिजनेस को ट्रांजैक्ट कर लें। मैं भी इस मान्य सदन का सदस्य वर्षों तक रहा हूं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव उससे अगले दिन आता है not on the same day. जब आज हमारे पास समय है तो हम हाउस की कार्यवाही को स्थगित क्यों करेंगे? इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि आज हम इस संकल्प पर चर्चा करेंगे और इसके बाद कल धन्यवाद प्रस्ताव यानी Motion of Thanks भी आयेगा और उस पर भी चर्चा शुरू करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास पूरे दो दिन बचे हैं। हाउस को एक्सटेंड किया जा सकता है। जितने भी माननीय सदस्य बोलना चाहें उनको समय मिल सकता है।"

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने पुनः अपने उद्‌गार व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें कोई राजनीतिक की बात नहीं है। यह प्रदेश न कांग्रेस का है, न भाजपा का है। यह प्रदेश हिमाचल के लोगों का है। इसलिए वे चाहते हैं कि व्यावहारिक निर्णय यही है कि Revenue Deficit Grant पर जो प्रस्ताव नियम-102 के अंतर्गत लाया गया है, उसे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में शामिल कर दिया जाए। इसी पर वे चर्चा कर लेंगे। यदि कुछ शेष रह जाएगा तो बजट में भी उस पर चर्चा हो सकती है। विपक्ष की बात को विरोध के रूप में न लिया जाए। वे जो कह रहे हैं वह प्रदेश, सदन की गरिमा और सबके हित में है।

<u>अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था</u>

"मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि नियम-102 के अनुसार **Notice of resolution by Government** - If the Government desire to move a resolution it shall give three days' notice in writing or online along with a copy of the text of the resolution; Provided that in special circumstances the Speaker may admit it on a shorter notice. मतलब तीन दिन के नोटिस को भी मैं वेव ऑफ कर सकता हूं अगर कोई विशेष परिस्थितियां हों। सरकारी संकल्प में नियम-102 में वोटिंग होती है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वोटिंग नहीं होती और न ही बजट के ऊपर वोटिंग होती है। सरकारी संकल्प पर चर्चा होगी और उस चर्चा के बाद सभी सम्माननीय सदस्य अपने-अपने विचारों की अभिव्यक्ति करेंगे। उसके बाद वोटिंग के उपरांत यह रेजोल्यूशन अडॉप्ट होगा, specifically against a specific issue. राज्यपाल महोदय का अभिभाषण और बजट भाषण जैसे सभी व्यापक इश्यू इस प्रदेश से मुत्तलिक हैं। Revenue Deficit Grant जिसका जिक्र माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में भी है वह संवैधानिक है और जो रेजोल्यूशन नियम-102 के तहत लाया गया है that takes a priority and precedents. Therefore, I am allowing the Hon'ble Parliamentary Affairs Minister to move the Resolution under Rule-102."

6. नियम-102 के अन्तर्गत सरकारी संकल्प :

श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग एवं संसदीय कार्य मामले मन्त्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया एवं चर्चा कीः-

> "प्रदेश को संविधान के अनुच्छेद 275 और 280 के तहत राजस्व सहायता अनुदान की राशि 5वें से 15वें वित्तायोग तक प्राप्त हो रही थी जो कि 16वें वित्तायोग की सिफारिशों के अनुरूप केन्द्र सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष से बन्द की गई है जिससे प्रदेश में आर्थिक संकट के हालात पैदा हुए हैं। इसके दृष्टिगत यह सदन केन्द्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि पूर्व में दी जा रही राजस्व सहायता अनुदान राशि प्रदेश की आर्थिक स्थिति के मध्यनजर राजस्व घाटे के अनुरूप प्रदान की जाए।"

उक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री जय राम ठाकुर, माननीय नेता प्रतिपक्ष
   माननीय मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।
2. श्री कुलदीप सिंह राठौर, सदस्य

   (05.54 बजे अपराह्न श्री संजय रत्न माननीय सभापति पदासीन हुए।)

3. श्री रणधीर शर्मा, सदस्य
   माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि माननीय सदस्य ने बड़े अच्छे सुझाव दिए हैं जोकि स्वागत योग्य हैं। आर0डी0जी0 कोई मुद्दा नहीं हैं, यह प्रदेश की जनता का अधिकार है। सरकार तो इस अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। वे चाहेंगे कि इस अधिकार की लड़ाई के लिए सभी इकट्ठे हो कर जाएं। यहां कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा है। हम सबको कह रहे हैं कि आर0डी0जी0 हिमाचल प्रदेश के लोगों का हक है क्योंकि हिमाचल प्रदेश का गठन रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के अनुसार नहीं हुआ है। जी0एस0टी0 के बाद हमारी पॉजिशन और भी खराब हुई है। इसलिए हम सब मिलकर एकजुटता के साथ आगे बढ़ें, यही कहना चाहता हूं।
4. श्री आशीष बुटेल, सदस्य

   (07.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक 10 मिनट के लिए बढ़ाई गई।)
   (07.10 बजे अपराह्न पुनः सदन की बैठक 5 मिनट के लिए बढ़ाई गई।)

07.12 बजे अपराह्न सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 17 फरवरी, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।

*** * ***